>

Title: Need to accord approval to the schemes under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana in Rajasthan.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2011–12 तक सभी अविद्युतीकृत गांवों एवं ढाणियों को विद्युतीकृत कर ग्रामीण परिवारों को (बीपीएल परिवारों सहित) विद्युत उपलब्ध कराना था। इस योजनान्तर्गत 90 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा 10 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में दी जा रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी बनाया गया है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राजस्थान की 40 योजनाओं हेतु 1307 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें 300 से अधिक आबादी की ढाणियों को ही शामिल किया गया था। प्रथम चरण में 25 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है व द्वितीय चरण की 15 योजनाओं का कार्य वर्ष 2011–12 के अंत तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

राजस्थान सहित अन्य राज्यों के निवेदन पर भारत सरकार ने 100 से 300 तक की आबादी की ढाणियों को सम्मिलित करते हुए गांवों के गहन विद्युतीकरण की वित्तीय सीमा को 1.00 लाख से बढ़ाकर 4.00 लाख कर दिया (रेगिस्तानी व पहाड़ी इलाकों के लिए 6 लाख)। इसी प्रकार अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण/सघन विद्युतीकरण के लिए यह सीमा 6.5 लाख रूपये से बढ़ाकर 13 लाख रूपये कर दिया गया। रेगिस्तानी व पहाड़ी इलाकों के लिए यह सीमा 18.00 लाख है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माह फरवरी, 2008 में जारी की गयी संशोधित वित्तीय सीमा के तहत 1456.91 करोड़ रूपये की 32 पूरक योजनाएं तैयार कर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को स्वीकृति के लिए भिजवाई जा चुकी है, जिसकी अभी तक भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है।

माननीय विद्युत मंत्री, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 7.4.2011 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया है कि पूरक योजनाओं को 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज–2 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात विचार किया जायेगा।

राज्य की अधिकांश आबादी ढाणियों में निवास करती है, जिनको राज्य सरकार विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु हर संभव प्रयासरत है। इन घरेलू कनेक्शनों की अधिकता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से इन सभी को कनेक्शन उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अतः भारत सरकार द्वारा राज्य की पूरक योजनाओं की शीघ्र स्वीकृति जारी की जाए जिससे 100 से 300 की आबादी वाली 15149 ढाणियों को ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत सम्मिलित किया जा सके तथा इन ग्रामीण परिवारों सहित 5.12 लाख बीपीएल को घरेलू विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जा सकें।